

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 282] No. 282] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2017/चैत्र 22, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2017/CHAITRA 22, 1939

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली. 12 अप्रैल. 2017

सा.का.नि. 351(अ).—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 2017 है।
  - (2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में पैरा 68 ख ग, के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"68 ख घ : निवास गृह या फ्लैट के क्रय के लिए या निवास गृह के सन्निर्माण के लिए निधि से प्रत्याहरण और वित्तपोषण (1) पैरा 68ख या 68खख या 68ख ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निधि का कोई सदस्य-

- (क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सहकारी सोसाईटी या आवासीय प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी का सदस्य है और ऐसी सोसाईटी में निधि के कम से कम दस सदस्य हैं, और
- (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी आवासीय स्कीम के अधीन कोई आवासीय अधिकरण या सदस्यों के लिए किसी प्रोमोटर या बिल्डर से निवास गृह या फ्लैट, जिसमें अन्यों के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व के भवन में फ्लैट भी सम्मिलित है, संपूर्ण भुगतान या किराया क्रय पद्धति के आधार पर या निवास गृह सन्निर्माण जिसमें उक्त प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त स्थल का अर्जन का क्रय सम्मिलित है करना चाहता है:

2489 GI/2017 (1)

निधि में सदस्य की जमा रकम से प्रत्याहरण के लिए ऐसे रूप में और ऐसी रीति में आवेदन कर सकेगा, जो कि आयुक्त द्वारा विहित की जाए।

(2) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी, ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर उतनी रकम मंजूर कर सकता है जो सदस्य के स्वयं के अंशदान के भाग तथा उस पर ब्याज, तथा उसके जमा खाता में नियोक्ता के अंशदान भाग सहित उसके ब्याज सहित राशि से अधिक न हो अथवा प्रस्तावित संपत्ति की अर्जन लागत में से सदस्य के खाते से विकलित करने पर, जो भी कम हो, मंजूर कर सकेगा:

परंतु, उक्त प्रत्याहरण की रकम नियोक्ता के भाग के अंशदान तथा उस पर ब्याज एवं कर्मचारी के भाग के अंशदान तथा उस पर ब्याज की रकम के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

परंतु यह और कि सदस्य तथा सोसाईटी जैसा कि मामला हो, आवासीय अधिकरण या बिल्डर या प्रोमोटर के साथ करार के अनुबंधों के अनुसार दायी होंगे और आयुक्त करार के पक्षकारी के कार्य के लिए जिम्मेदार या दायी या स्वयं को दायी नहीं बनाएगा।

- (3) इस पैरा के अधीन कोई प्रत्याहरण स्वीकृत नहीं किया जाएगा
  - (i) जब तक कि सदस्य के पास निधि की कम से कम तीन वर्ष की सदस्यता न हो;
  - (ii) एक बार से अधिक;
  - (iii) जब तक कि सदस्य/उसके पित या पत्नी सिहत, जो स्वयं भी सदस्य है, उनके जमा खाते में ब्याज सिहत अंशदान के भाग की रकम, बीस हजार रुपये से कम न हो:
- (4) जहां कोई सदस्य वांछा है तथा प्राधिकृत करता है कि सदस्य के अथवा सदस्य के पित या पत्नी के नाम में अथवा सदस्य तथा उसके पित या पत्नी, दोनों के नाम में संयुक्त रूप से लिए गए ऋण के मूल अथवा ब्याज के बकाया की मासिक किस्त का प्रतिसंदाय निधि में सदस्य के जमा खाते की रकम से पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किया जा सकता है, और सदस्य की ओर से सरकार या आवासीय अधिकरण या प्राथमिक ऋण देने वाले अधिकरण अथवा संबंधित बैंक, जैसा कि मामला हो, को संदाय किया जा सकता है:

परंतु, जब सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है, या, जहां सदस्य के जमाखाते में रकम किसी माह की मासिक किस्त का संदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई अन्य अधिकारी मासिक किस्त या कोई विलंब शुल्क या ब्याज पर अन्य ऐसे प्रभारों का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

- (5) उप पैरा (1) और (2) के अधीन निवास गृह या फ्लैट अथवा आवास स्थल के क्रय के लिए अथवा निवास गृह के सिन्नर्माण के लिए प्रत्याहरण किसी भी दशा में सदस्य को नहीं दिया जाएगा और इसका संदाय सीधे सहकारी सोसाईटी, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, या किसी आवासीय स्कीम के अधीन आवासीय अधिकरण को या किसी प्रोमोटर या बिल्डर को जैसा भी मामला हो, एक या अधिक किस्तों में, जैसा कि सदस्य द्वारा प्राधिकृत किया जाए, किया जाएगा।
- (6) (क) यदि इस पैरा के अधीन स्वीकृत प्रत्याहरण या वित्त पोषण, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृत किया गया था पर वास्तविक खर्च, से अधिक रहता है, तब अधिक रकम सदस्य द्वारा, क्रय के पूरा होने या सिन्नर्माण किए जाने या निवास गृह या फ्लैट में आवश्यक निर्माण अथवा बदलाव, जैसा भी मामला हो किए जाने के 30 दिन के भीतर निधि में एकमुश्त वापस करनी होगी;
  - (ख) उप पैरा (क) के अधीन इस प्रकार वापिस की गई रकम, को निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के भाग के अंशदान में उस सीमा तक जमा किया जाएगा जहां तक उक्त भाग का प्रत्याहरण प्रदान किया गया है और शेष, यदि कोई है, तो इसे सदस्य के खाते में सदस्य के अंशदान के रूप में जमा किया जाएगा।
  - (ग) यदि कोई सदस्य किसी आवास स्थल या निवास गृह या फ्लैट का आबंटन प्राप्त नहीं कर पाता है या सहकारी सोसाईटी द्वारा सदस्य को आबंटन रद्द किए जाने की स्थिति में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी भी आवासीय स्कीम के अधीन कोई आवासीय अधिकरण अथवा कोई प्रोमोटर अथवा बिल्डर; जिसे सदस्य द्वारा प्रत्याहरित रकम दी गई है, वे उस रकम का निधि में एकमुश्त रूप में आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की रीति में, ऐसे रद्दकरण या आबंटन न होने की तारीख से 15 दिनों की अविध के भीतर प्रतिदाय सुनिश्चित करने के लिए दायी होगा।

(घ) खंड (ग) के अधीन इस प्रकार प्रतिदाय की गई रकम को निधि में सदस्य के खाते में नियोक्ता के अंशदान के भाग के रूप में उक्त भाग से स्वीकृत किए गए प्रत्याहरण की सीमा तक जमा किया जाएगा और अधिशेष यदि कोई है, को सदस्य के खाते में सदस्य के अंशदान के रूप में जमा किया जाएगा।"

[सं. एस-35012/9/2016-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 1509, तारीख 2 सितम्बर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्या सा.का.िन. 298(अ), तारीख 29 मार्च, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2017

- **G.S.R.** 351(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-
- 1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 2017.
  - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, after paragraph 68 BC, the following paragraph shall be inserted, namely:-
  - "68BD. Withdrawal of, and financing from, the Fund for purchase of dwelling house or flat or the construction of a dwelling house.—(1) Notwithstanding anything contained in paragraph 68B or 68BC, where a member of the Fund, who,-
  - (a) being a member of a cooperative society or a society registered for housing purpose under any law for the time being in force and such society has at least ten members of the Fund, and
  - (b) desires to purchase a dwelling house or flat including flat in a building owned jointly with others, outright or on hire-purchase basis, or for construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose, from the Central Government, a State Government, or any housing agency under any housing scheme or any promoter or builder for the members,
    - may apply in such form and in such manner, as may be prescribed by the Commissioner, for withdrawal from the amount standing to the credit of the member in the Fund.
- (2) The Commissioner, or any other officer subordinate to him where so authorised by the Commissioner, on receipt of such application may, sanction such amount not exceeding the member's own share of contribution with interest thereon and the employer's share of contribution with interest thereon to his credit or the cost of the acquisition of the proposed property whichever is less by debiting to the member's account:

Provided that the amount of the withdrawal shall not exceed ninety per cent of the employer's share of contribution and interest thereon and employee's share of contribution and interest thereon:

Provided further that the member and the society as the case may be, shall be, liable in accordance with the terms of the agreement with the housing agency or builder or promoter and the Commissioner shall not be responsible or liable or make himself liable for the act of the parties to the agreement.

- (3) No withdrawal under this paragraph shall be granted-
  - (i) unless the member has membership of the Fund for at least three years;
  - (ii) more than once;

- (iii) unless the share of contribution with interest thereon in the amount standing to the credit in the Fund of the member/or together with the spouse who is also a member, is not less than twenty thousand rupees:
- (4) Where a member desires and authorises that monthly installment for the repayment, wholly or partly, of any outstanding principal or interest of a loan obtained in the name of the member or spouse of the member or jointly by the member and spouse may be paid from the amount standing to the credit of the member in the Fund, and payment may be made on behalf of the member to the Government or a housing agency or primary lending agency or bank concerned as the case may be:

Provided that when the membership of the member ceases to exist, or, where the amount standing to in the credit of the member's account is not sufficient to pay the monthly installment for any month, the Commissioner or where so authorized by the Commissioner any other officer subordinate to him shall not be liable to pay the monthly installment or any late fee or interest or other such charges.

- (5) The withdrawal for the purchase of a dwelling house or flat or a dwelling site or construction of a dwelling house, under sub-paragraphs (1) and (2), shall not be made to the member in any event and shall be made direct to the Cooperative Society, Central Government, a State Government, or any Housing Agency under any Housing Scheme or any promoter or builders as the case may be, in one or more installments, as may be authorized by the member.
- (6) (a) If the withdrawal or finance granted under this paragraph exceeds the amount actually spent for the purpose for which it was sanctioned, the excess amount shall be refunded by the member to the Fund in one lump sum within thirty days of the finalization of the purchase, or the completion of the construction of, or necessary additions or alterations to a dwelling house or flat, as the case may be;
  - (b) The amount so refunded under sub-paragraph (a) shall be credited to the employer's share of contribution in the member's account in the Fund to the extent of withdrawal granted out of the said share and the balance, if any, shall be credited to the member's share of contribution in his account;
  - (c) In the event of the member failing to get allotted a dwelling site or dwelling house or flat or in the event of the cancellation of an allotment made to the member by the Cooperative Society, the Central Government, a State Government, or any Housing Agency under any Housing Scheme or any promoter or builders to which the amount so withdrawn has been given the member shall be liable to ensure the refund of the amount to the Fund in one lump sum in such manner as may be specified by the Commissioner, within a period not exceeding fifteen days from the date of such cancellation or non-allotment;
  - (d) The amount so refunded under clause (c) shall be credited to the employer's share of contributions in the members account in the Fund, to the extent of withdrawal granted out of the said share, and the balance, if any, shall be credited to member's own share of contributions in his account."

[No. S-35012/9/2016-SS-II]

R.K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended *vide* number G.S.R. 298 (E), dated the 29th March. 2017.